रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 509] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 1, 1972/अग्रहायण 10, 1894

No. 509] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 1972/AGRAHAYANA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 1st December, 1972.

S.O. 731 (E).—Whereas the Central Government has, by its notified order in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade, No. S.O. 1027 dated the 6th March, 1971 issued under clause (b) sub-section (1) of section 18-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) authorised the Board of Management consisting of Sarva Shri R. V. Subramanian, M. Dhar and M. N. Datta to take over the management of the industrial undertaking known as M/s. Braithwaite and Company (India) Limited, Calcutta (hereafter in this order referred to as the industrial undertaking) for the period specified therein ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18-E of the said Act, and in continuation of the order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 108(E) dated the 5th February, 1972, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said notified order under section 18-A.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column(I)shall apply to the undertaking.
(1)	2
Section 224	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 225 :	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.

[No. 1/14/71-P.S. Cell/HM(I).]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मन्त्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1972.

का० आ० 731 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक, व्यापार मन्त्रालय में, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी किए गए अपने अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 1027 तारीख 6 मार्च 1971 द्वारा सर्वश्री आर० धो० सुब्रामनियन एस०धर तथा एस० एन० दत्त से मिलकर बने प्रबन्धक बोर्ड मैसर्स बेयर्ड बेयर्ड एंड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता, (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि तक ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था :

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18-ई की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मन्त्रालय के आदेश सं० का० आ 108 (ई) तारीख 5 फरवरी 1972 के क्रम में केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध अनुसूची में के उन अपवादों, निर्बन्धनों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति में लागू रखेगा जिस प्रकार वे धारा 18-क के अधीन उक्त अधिसूचित आदेश के जारी होने से पहले उसे लागू होता था :—

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्ध	अपवाद, निर्बन्धन तथा सीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में उल्लिखित उपबंध उपक्रम को लागू होंगे
(1)	(2)
धारा 224	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे
धारा 225	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे

[सं० 1/14/71-पी० एस० स्यल]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI 1972